मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिये दिया 6-ई फार्मूला

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा के लिए 6-ई फॉर्मूला दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों की बेहतर देखरेख के लिये राज्य में 6-ई (एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्यूएशन, एन्गेजमेंट) आधारित

- सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक लेकर कहा, ''जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू होगा'
- सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी तय कर करें सख्त कार्यवाही : भजनलाल शर्मा
- 'बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं की करें रोकथाम, राज्यभर में नहीं हो कोई भी खुला बोरवेल'

रणनीति के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले ई (एजुकेशन) सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। दूसरे ई (इजीनियरिंग) के तहत सड़कें, ब्रिज अन्य बुनियादी ढ़ांचे को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर डिजाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि तीसरे ई (एनफोर्समेंट) के तहत यातायात कानूनों की सख्ती से पालना सुनिश्चित किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चौथे ई (इमरजेंसी) के तहत दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा पांचवे ई (इवेल्यूएशन) के तहत सड़क सुरक्षा उपायों का नियमित रूप से मूल्यांकन कर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए तथा छठवें ई (एन्गेजमेंट) के तहत समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा अभियानों में शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को उनके निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए तथा प्रदेशभर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए।

शर्मा ने कहा कि यातायात नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर सहित तमाम प्रबंध सुनिश्चित किया जाए जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं एवं स्पीड मॉनिटरिंग उपकरण व ऑटोमेटेड चालान प्रणाली लागू की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करे कि बिना परमिट के वाहनों की सड़कों पर आवाजाही ना हो तथा उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग हाइवे पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सड़क पर किसी भी वाहन की अवैध रूप से पार्किंग नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा में कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को विशेष आयोजनों पर सम्मानित किया जाए जिससे दुर्घटना में मदद करने वाले लोग प्रोत्साहित हो। शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर बनी समिति की राज्य स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग हो।

शासन सचिव परिवहन शुचि त्यागी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य, अवैध कट्स की स्थिति, सड़क सुरक्षा के मानकों की सुनिश्चितता सहित विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोडा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भास्कर ए. सावंत, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता, जयपुर कलक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. भारती दीक्षित, जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ सहित संबंधित विभागों एवं एनएचएआई के अधिकारी उपस्थित रहे।

मीरा बाई व संतों पर टिप्पणी के आरोप मामले में पुलिस जांच रिपोर्ट पेश करे

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर की ओर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत सेवा महापुराण अमृतम पुस्तक में भक्त शिरोमणी मीरा बाई सहित अन्य साधु-सन्यासियों पर टिप्पणी के आरोप मामले में करधनी पुलिस थाने से जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2025 को तय की है। कोर्ट ने यह निर्देश बालयोगी नोमीनाथ के परिवाद पर दिया है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनिल चौधरी व सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व में भी पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने मामले में जांच नहीं की है। इसलिए कोर्ट ने पुलिस को पुनः जांच का निर्देश दिया है। परिवाद में कहा है कि इस पुस्तक में मां मीरा बाई के लिए गंभीर बातें कहीं गई हैं और यह सामाजिक व धार्मिक तौर पर मीरा बाई को कलंकित करने का प्रयास किया है। इस मामले में परिवादी के कोर्ट में बयान दर्ज हो चुके हैं। अपने बयानों में परिवादी ने कहा कि पुस्तक के पेज संख्या 59 पर परंपरागत संतों और सनातन सम्प्रदाय को नहीं मानने वालों को आतंकवादी कहा गया है। ऐसा कहना साधु सन्यासियों का घोर अपमान है। पुस्तक में राधा-कृष्ण के प्रेम को भी शारीरिक संबंधों के विश्लेषण की व्याख्या करते हुए कथाओं को तोड़-मोड़कर मनगढ़त तरीके से प्रकाशित किया गया है। परिवाद में नारायण सेवा संस्थान की कल्पना गोयल और कमला अग्रवाल सहित अन्य को पक्षकार बनाया है।

शोक जताया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरूवार को अजमेर रोड हादसे में भाजपा के बूथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी की असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

बारिश से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 965 करोड़ रुपये स्वीकृत

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।

जयुपर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चला कर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, स्पीड ब्रेकर ठीक करवाने, जेबरा क्रोसिंग,साईनेंज सहित अन्य आवश्यक सुविधायें विकसित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थाई मरम्मत के लिए 964.43 करोड़ रुपये की वित्तिय स्वीकृति जारी कर दी गई है इस राशि से प्रदेश में वर्षा से क्षतिग्रस्त लगभग 2328 कार्यों की स्थायी मरम्मत करवाई जायेगी। इस राशि से सड़क पुल आदि की मरम्मत करवाई जायेगी।

- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री गुरुवार को निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नियमित फिल्ड विजिट कर सड़कों की गुणवत्ता जांच करने के निर्देंश दिए हैं। उन्होनें निर्देश दिए है कि अधिकारी जिन सड़कों का निरीक्षण करेंगे उसकी रिर्पोट हर सात दिन में प्रस्तुत करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि निरीक्षण की गई सड़को की गुणवत्ता खराब मिलेगी तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्बन फुट प्रिंट कम करने के लिए सड़क निर्माण में पर्यावरण हितैषी सामग्री का इस्तेमाल करें। उन्होनें बायो बिटूमिन का प्रयोग कर एक सड़क पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर निर्माण सेंट्रलाइज्ड हो, ताकि प्रोजेक्टस समय पर पूरे हो-उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट घोषणाओं सहित अन्य योजनाओं के तहत बनने वाले पुल, सड़क आदि की डीपीआर बनाने का कार्य सेंट्रलाइज्ड किया जाये ताकि समय पर प्रोजेक्टस को शुरू करवाकर उन्हें तय अवधि में पूरा किया जा सकें। उन्होनें कहा प्राय देखने में आता है कि स्थानीय स्तर पर डीपीआर बनाने के काम में देरी होने की वजह से काम समय पर शुरू नही हो पाते है और जनता को उसका तय समय पर लाभ नही मिल पाता है। दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क के शोल्डर्स की जंगल क्लियरेंस के कार्य, सड़क भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही, अनाधिकृत मीडियन कट को बंद किया जाना, रोड साइनेज व लेन मार्किंग के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना, जंक्शन्स पर कैट्स ऑय लगाने व रम्बल स्ट्रिप्स के कार्य,घुमंतू जानवरों की रोकथाम हेतु स्थानीय निकाय से समन्वय कर सडको से दूर करना तथा एनजीओ अथवा रक्षा मित्र के साथ मिलकर कालर रिफ्लेक्टर लगाने सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जायेगें। इसके साथ ही सड़क मिडियन पर लगे पेडों की ऊँचाई एक निर्धिश्चत हाईट के बाद छटाई करवाने के कार्य भी किए जायेगें।

35 हजार के इनामी आरोपी को हत्या के मामले में मिली जमानत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में साथी बदमाश की गोली मारकर हत्या करने वाले 35 हजार रुपए के इनामी आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ बेबी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस बिरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा, अन्यथा संबंधित न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने को स्वतंत्र रहेगा। इसके अलावा वह बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा एक जमानती संबंधित ट्रायल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का निवासी होना चाहिए।

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र ने अदालत को बताया कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। संजय सिंह के मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने अपने मृत्यु पूर्व बयानों में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे पीछ से गोली मारी और उसने पीछे मुडक़र उसकी पहचान की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन बयानों की प्रमाणिकता पर सवाल खडे होते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह डॉ. रामावतार शर्मा ने बयान में कहा कि उसने संजय का इलाज नहीं किया, बल्कि बयान के समय उसके मूंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वहीं पुलिस अधिकारी ने बयान दिया कि उसने मृत्यु पूर्व बयान लिए और उसके बाद चिकित्सक से मरीज के बयान देने में सक्षम होने का प्रमाण पत्र लिया। याचिका में कहा गया कि ऐसी गलतियां मृत्यु पूर्व बयान को संदेहजनक बनाती है। याचिकाकर्ता गत 20 फरवरी से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जमानत के स्तर पर साक्ष्य का गहराई से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि मृतक संजय, याचिकाकर्ता बेबी और प्रकरण के अन्य आरोपी दोस्त थे और आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे। बेबी के खिलाफ दो दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और संजय के खिलाफ भी 21 प्रकरण दर्ज थे। इस दौरान जमीनी विवाद के चलते बेबी ने संजय सहित अन्य दोस्तों को पार्टी करने के बहाने 28 जनवरी, 2023 को घर बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

पी.एम. के लाइव प्रसारण में दिया कुमारी की सहभागिता

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को तीसरे वीर बाल दिवस उत्सव के अवसर पर "सुपोषित ग्राम पंचायत" अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को साहस, नेतृत्व और दृढ़ता के महत्व पर प्रेरणादायक संदेश भी दिया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी इस अवसर पर जयपुर में ओटीएस स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में कार्यक्रम के दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण में उपस्थित रहकर सहभागिता की। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर "सुपोषित ग्राम पंचायत" अभियान का शुभारंभ किया गया, यह प्रसन्नता की बात है। 17 वीर बालक-बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।

शीतकालीन अवकाश के बावजूद निजी स्कूल बुला रहे बच्चों को

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रदेश की सभी निजी व सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित कर रखा है। इसके बावजूद राजधानी जयपुर में ही निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने में लगे है। गुरूवार सुबह कडाके की ठंड में छोटे-छोटे बच्चे कांपते हुए जयपुर की निजी स्कूलों में जाते नजर आए, जबकि आज दिनभर सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा विभाग के आदेश से ऊपर, निजी स्कूल संचालकों की मनमजी है।

हिंदू धर्म की रक्षा और बलिदान की एक अनूठी गाथा है खालसा पंथ : ओंकार सिंह लखावत

जयपुर। भाजपा जयपुर जिला दक्षिण की ओर से गुरूवार को जिला स्तरीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम नरेना के श्री गुरु चरण कमल साहिब गुरुद्वारा में स्थित पैनोरमा परिसर में आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत कहा कि किस प्रकार खालसा पंथ ने सनातन एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण और अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया। यह गुरु गोविंद सिंह और उनके चार साहिबजादों की बस कहानी नहीं, यह गाथा है वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की। जो हमेशा-हमेशा के लिए लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।

इस गाथा को आने वाली पीढ़ी के पटल पर जीवित रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। लखावत ने सभी से यह आ ान किया कि इन वीर बालकों की वीर गाथाओं को जानने और समझने के लिए हम सभी को अपने परिवार एवं बच्चों सहित राज्य सरकार द्वारा निर्मित इन पैनोरमा का भ्रमण अवश्य करना चाहिए।

लखावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इन पैनोरमा का उद्देश्य तब सफल होगा जब हिंदू समाज अपने परिवार सहित यहां भ्रमण कर अपने बच्चों को, अपने इष्ट मित्रों को उनकी वीरगाथाओं का श्रवण और दर्शन करवा कर सनातन के प्रति आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। इससे आने वाली पीढ़ी हमारे

भाजपा जिला दक्षिण की ओर से नरेना गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया।

इतिहास को जान सके कि किस प्रकार मुगल आक्रांताओं के घोर अत्याचारों से हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ ने और गुरु गोविंद सिंह के उन पुत्रों ने जिनकी आयु महज 7-9 वर्ष रही होगी अपनी जीवन लीला समर्पित कर दी। युवा पीढ़ी के लिए धर्म रक्षा एवं देशभक्ति की एक मिसाल कायम कर दी।

कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही खालसा पंथ का निर्माण हुआ और हम सभी खालसा पंथ के इस बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। गुर्जर ने वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के और भी स्थल विकसित किए जाएं, जिससे इन बलिदानों को आने वाली पीढ़ी याद करते हुए प्रेरित हो सके। उन्होंने बताया कि जब मुगल आक्रांताओं ने गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को घोर यातना देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करवाने का प्रयास किया, तब उन दोनों वीर बालकों ने मौत का आलिंगन स्वीकार किया, किंतु धर्म से विमुख नहीं हुए। "कैसे झुक जाते वह जिनकी रगों में गुरु गोविंद सिंह का खून था उन पर तो बस धर्म की रक्षा का जुनून था।"

इस कार्यक्रम में फुलेरा पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने संबोधन

- साहिबजादो ने इस्लाम कबूल करने की बजाय मौत का किया आलिंगन : राजेश गुर्जर

के दौरान बताया कि सिख और हिंदू धर्म एक दूसरे के पूरक हैं जो सनातन और राष्ट्र की रक्षा के लिए ही अपना बलिदान देते आए हैं। अतः इनको आपसी सहयोग की भावना से धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अतः अब हम सब की जिम्मेदारी है खालसा पंथ की इस शहादत और शौर्य गाथाओं को को घर-घर तक हम पहुंचाएंगे।

भाजपा जयपुर जिला मीडिया प्रभारी सुनील पारीक ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला महामंत्री अजय पाल सिंह, कांता सोनवाल जिला उपाध्यक्ष शिवजी राम कुमावत, शिवजी राम भामू, जिला मंत्री हेमंत मीणा कार्यक्रम संयोजक हृदय सुमन पारीक एवं जयपुर जिला के समस्त जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं सैकड़ो कार्यकर्ता और बाबा बलविंदर सिंह मुख्य सेवादार श्री गुरु चरण कमल साहिब गुरुद्वारा नरेना, बाबा निहाल सिंह उपसेवादार गुरुद्वारा सवारदा साहिब, मुख्य सेवादार बाबा सुभाष सिंह, हरभजन सिंह , लाड़े सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नरेना शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष नटवर पारीक ने इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के प्रयासों से 10 हैंडपंप स्वीकृत

जयपुर। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सार्थक प्रयासों से जन सुविधाओं का विस्तार करते हुए शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु 10 हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं। राठौड़ के इस प्रयास की सराहना करते हुए क्षेत्रवासियों ने उनका आभार जताया है। यह हैंडपंप राजकीय विद्यालय के पास नयाबास, ढाणी नागान, जोबनेर, शिव मंदिर के पास, वार्ड नं. 5, जोबनेर,रेनवाल रोड, बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर, पंचायत भवन के पास, बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर, स्वामियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, जोबनेर, बेटाडियों की ढाणी, आसलपुर, जोबनेर, भगवानियों की ढाणी, जोरपुरा, जोबनेर, बाईपास रोड चौराहा, ढाणी नागान, जोबनेर, स्कूल गौशाला के पास, बस्सी नागान, जोबनेर और डेयरीवालों की ढाणी, आसलपुर, जोबनेर में लगाए जाएंगे। हैंडपंप लगने के बाद से क्षेत्रवासियों की पानी की समस्या का निदान हो जाएगा।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन ने राजस्थान की डबल इंजन भाजपा सरकार सभी के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है।

पेपर लीक के आरोपी ढाका व सारण सहित पांच के संपत्ति कुर्की नोटिस

जयपुर। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी भर्ती : 2022 पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्नोई, प्रदीप खींचड़ व नेताराम कलबी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। वहीं कोर्ट ने इन आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

- कोर्ट ने इन आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। वहीं अब इनकी संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को इनकी संपत्तियों पर चस्पा किया जाएगा ताकि कोर्ट में उनकी पेशी हो सके। एटीएस व एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक ,द्वितीय श्रेणी भर्ती : 2022 के सामान्य ज्ञान व मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को प्रथम पारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की थी। इस दौरान गोपनीय सूचना पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस उदयपुर ने पुलिस थाना बेकरिया के सामने रोड पर पिंडवाड़ा से उदयपुर आने वाली एक बस में अभ्यर्थियों व डमी परीक्षार्थियों सहित अन्य आरोपियों से सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के सॉल्व प्रश्न पेपर बरामद किए। इस बस से 37 अभ्यर्थियों सहित कुल 45 जनों को पकड़ा गया। पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। बाद में यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। बेकरिया पुलिस थाने में दर्ज इस मामले में अभी तक 66 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद सुखेर में भी लीक पेपर मामले के 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरेश कुमार ढाका इन दोनों मामलों में फरार चल रहा है। जबकि जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्नोई, प्रदीप खींचड़ व नेताराम कलबी बेकरिया मामले में फरार चल रहे हैं। इन दोनों मामलों का अनुसंधान एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा कर रहे हैं।